न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रतनगढ जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी :– डॉ. गौरव सैनी, आई.ए.एस.

मुकदमा संख्याः– प्रार्थना पत्र संख्या 80/2019

निर्णय दिनांक :– 8.1.2020

रामचन्द्र नैण पुत्र सुरजाराम नैण जाति जाट निवासी चम्पावासी हाल सरपंच ग्राम पंचायत नोसरिया पं.स. व तहसील रतनगढ जिला चूरू

...प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, रतनगढ जिला चूरू

.....अप्रार्थी

उपस्थितः–

1. श्री मगनाथ सिद्व अभिभाषक प्रार्थी
2. पैरोकार राज

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

1. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 राजस्व रेकार्ड में अकिंत तरमीम का शुद्वीकरण करवाने हेतु दिनांक 29.11.2019 को प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि राजस्थान सरकार द्वारा पट्टा बनाने का अभियान शुरू करने पर आबादी में बसे लोगों की पत्रावलियों के सम्बन्ध में पटवारी हल्का से रिपोर्ट मांगने पर पता चला कि ख.नं. 92/5 तादादी 5 बीघा भूमि के नक्शे की तरमीम गलत दर्ज कर दी है। यह भूल राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही से हुई है। ख.नं. पुराना 5 वाके रोही ग्राम हुडेरा सिद्वान गै.मु. गोचर था। श्रीमान् जिला कलक्टर, चूरू के आदेश कमांक प.12(3)(3) राजस्व/80 दिनांक 13.1.1984 के द्वारा 5 बीघा भूमि गैर मुमकिन आबादी घोषित की गई थी। जिसका इंतकाल दिनांक 18.7.1991 को तहसीलदार रतनगढ द्वारा स्वीकृत किया गया। पटवारी हल्का ने लापरवाही से नक्शे में तरमीम करते समय

उपखण्ड अधिकारी
रतनगढ (चूरू)

पूर्वी–पश्चिमी तरफ करदी जबकि आबादी उतरी–दक्षिणी ओर बसी हुई है। गलत तरमीम के कारण आबासीय पट्टे बनवाने में काफी परेशानियां होती है। इसलिए सही तरमीम उतरी–दक्षिणी पर लम्बी किया जाकर शुद्ध किया जाना उचित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तरमीम शुद्वि की जावे।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया तथा तहसीलदार रतनगढ से अभिलेख के सम्बन्ध में रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार, रतनगढ की रिपोर्ट कमांक 1387 दिनांक 12.12.2019 के द्वारा न्यायालय में प्राप्त हुई। तहसीलदार, रतनगढ की रिपोर्ट के ग्राम हुडेरा सिद्वान में आबादी भूमि के रूप में ख.नं. 5 में से 5.00 बीघा भूमि आवंटित हुई थी। मौके पर बसावट उतर दक्षिण 500 तथा पूर्व से पश्चिम 272 फीट है जबकि राजस्व रेकार्ड में तरमीम पूर्व–पश्चिम 500 व उत्तर–दक्षिण 272 फीट भूलवश करदी गई है, जिसे शुद्व किया जाना उचित है।

3. बहस अभिभाषक प्रार्थी एवं पैरोकार राज सुनी गई। प्रार्थना पत्र, एवं प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत रेकार्ड नकल जमाबन्दी, नामान्तरकरण सं. 53 की प्रतिलिपि, नकल नक्शा, श्रीमान् जिला कलक्टर, चूरू का आवंटन आदेश दिनांक 13.1.1984 व तहसीलदार रतनगढ की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 12.12.2019 का भलीभातिं अवलोकन किया गया। अप्रार्थी/तहसीलदार रतनगढ द्वारा अपनी रिपोर्ट में तरमीम भूलवश गलत होना माना है तथा शुद्वि किया जाना उचित बताया है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार, रतनगढ को आदेश दिया जाता है कि ग्राम हुडेरा सिद्धान तहसील रतनगढ की आबादी हेतु आंवटित ख.नं. 92/5 की तरमीम में पूर्व–पश्चिम 500 फीट व उत्तर–दक्षिण 272 फीट के स्थान पर उतर से दक्षिण 500 फीट तथा पूर्व से पश्चिम 272 फीट शुद्धी की जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार, रतनगढ को पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 3.1.2020 **को खुल्ले न्यायालय में सुनाया गया।**

(डॉ. गौरव सैनी)
उपखण्ड अधिकारी
रतनगढ(चूरू)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Saini
Date: 2020.02.02 15:57:48 IST
Reason: SelfAttested
Location: